अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक : ए.4 ( ) लेखा/प्रतिबद्ध/2018–19/1305 दिनांक :15-01-2019

अधीक्षक, संलग्न चिकित्सा समूह संघ जयपुर,अजमेर,जोधपुर,बीकानेर, उदयपुर एवं कोटा।
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडीकल कॉलेज, अजमेर/जोधपुर।
प्रधानाचार्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र हीराबाग जयपुर।
समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकीय चिकित्सालय/सैटेलाईट अस्पताल।
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, के.एन.एस.टी.बी.डी.टी.सी. अजमेर।
समस्त जिला क्षय रोग अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, क्षय नियंत्रण इकाई।
समस्त सहायक औषधि नियंत्रक।
मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयपुर।
राजकीय विश्लेषक, जयपुर।
समस्त जिला कुष्ठ रोग अधिकारी/प्रभारी कुष्ठ नियंत्रण इकाई।
विभागाध्यक्ष, डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी, जयपुर।
संयुक्त निदेशक एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।

विषय :– वर्ष 2018–19 के लिए अंतिम आधिक्य व्यय एंव बचत तालिकायें (राज्य निधि प्रतिबद्ध/राज्य निधि) प्रस्तुत करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 समाप्त होने में लगभग दो माह शेष है, अतः नीचे उल्लेखित निर्देशों की पालना करते हुए संलग्न प्रपत्र (दो प्रतियों में) में अंतिम आधिक्य व्यय एंव बचत तालिकायें निम्न कार्यक्रमानुसार कार्यालय में पदस्थापित लेखाकर्मी (स.ले.अ. ग्रेड–I/स.ले.अ. ग्रेड–II/क.ले.) जहाँ लेखाकर्मी पदस्थापित नहीं है, वहाँ लेखा कार्य के विज्ञ कर्मी के साथ आवश्यक रूप से प्रस्तुत करावें :–

समय सारणी

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	निदेशालय में अंतिम आधिक्य एवं बचत की तालिकाएं प्रस्तुत करने की दिनांक
1	अधीक्षक, संयुक्त चिकि. संघ, कोटा, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर	18.02.2019
2	प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडीकल कॉलेज, अजमेर, जोधपुर,	
3	प्रिंसिपल स्वास्थ्य एवं, प0क0 प्रशिक्षण केन्द्र, हीराबाग, जयपुर	
4	विभागाध्यक्ष डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स, एसएमएस अस्पताल,जयपुर	
5	राजकीय विश्लेषक,सेठी कॉलोनी, जयपुर	
6	मुख्य खाद्य विश्लेषक, सेठी कॉलोनी, जयपुर	
7	संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,जोन–जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर,,भरतपुर	19.02.2019
8	जिला कुष्ठ रोग अधिकारी, जयपुर,जोधपुर	
9	सहायक औषधि नियंत्रक, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, सवाईमाधोपुर,सीकर, बांसवाडा,भरतपुर, श्रीगंगानगर, चुरू, अलवर, पाली, चित्तौडगढ़,जयपुर, हनुमानगढ़,जालौर,झुन्झनू, टोंक	
10	जिला क्षय रोग अधिकारी, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, पाली, सिरोही, बीकानेर, रतनगढ़ (चुरु), ब्यावर(अजमेर), श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, दौसा, हनुमानगढ़	20.02.2019
11	जिला क्षय रोग अधिकारी,अलवर, भरतपुर,, जयपुर–प्रथम, झुन्झुनु, सीकर, बून्दी, झालावाड़, कोटा,सवाई माधोपुर, बांसवाडा, चित्तौडगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमन्द, धौलपुर जयपुर–द्वितीय, प्रतापगढ़।	
12	अधीक्षक, कमला नेहरू क्षय प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र,अजमेर	

13	डी.डीओ. निदेशालय चिकि. एवं स्वा. सेवायें,राजस्थान, जयपुर	21.02.2019
14	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, करौली, सवाईमाधोपुर, बाडमेर, बांरा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ, राजसमन्द, सागवाडा (डूगरपुर), बीकानेर	
15	चि. अ. प्रभारी, रा. सैटेलाईट हॉस्पीटल, शाहपुरा (भीलवाड़ा)	
16	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर,ब्यावर(अजमेर),भरतपुर,भीलवाडा,धौलपुर, झुन्झुनू, नागौर,सीकर,टोक	
17	चि. अ. प्रभारी, रा. चिकित्सालय, किशनगढ (अजमेर),नसीराबाद (अजमेर) सोजत सिटी(पाली) बालोतरा,(बाड़मेर) नाथद्वारा (राजसमंद),माण्डलगढ़ (भीलवाड़ा) सरदारशहर (चुरु),सुजानगढ,(चुरू) छबड़ा (बांरा) फलौदी (जोधपुर) शाहपुरा (जयपुर) खेतड़ी (झुन्झुनु),कुचामन सिटी(नागौर)लाडनु (नागौर)परबतसर (नागौर),डीडवाना (नागौर) बीकानेर हाऊस (नई दिल्ली)	22.02.2019
18	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,दौसा, कोटपुतली(जयपुर), जयपुरिया चिकि.,जयपुर	
19	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,रतनगढ (चुरु), चुरु, गंगानगर, बून्दी, जैसलमेर, जालौर, पाली, सिरोही, डूंगरपुर	25.02.2019
20	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर,अलवर, श्रीगंगानगर, बाडमेर,उदयपुर, चित्तौडगढ	
21	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर, पाली,प्रतापगढ,जोधपुर ,अलवर	26.02.2019
22	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा,धौलपुर,डुंगरपुर, हनुमानगढ,बांसवाडा	
23	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर, भीलवाडा, बीकानेर,बून्दी,रतनगढ (चुरु)	27.02.2019
24	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांरा, जयपुर–प्रथम,जयपुर–द्वितीय, जैसलमेर, जालोर	
25	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड, झुन्झुनू,राजसमंद,करौली, कोटा	28.02.2019
26	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर, सिरोही,टोंक, सवाईमाधोपुर	

अन्तिम आधिक्य बचत तालिकायें प्रस्तुत एवं तैयार करने में निम्नांकित दिशा निर्देशों की कडाई से पालना सुनिश्चित की जावें :–

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों से अंतिम आधिक्य व्यय एंव बचत तालिकायें निर्धारित कार्यक्रम से एक सप्ताह पूर्व प्राप्त कर इनकी जांच अपने स्तर पर करेंगे तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को लेखामदवार आवंटित बजट एवं उसके विरुद्ध व्यय तथा अवशेष राशि का सत्यापन **IFMS** से करना सुनिश्चित करेंगे। जिस अधीनस्थ कार्यालय में बचत है, उस कार्यालय की **office ID** से बचत राशि **Withdraw** कर **CMHO** अपनी **office ID** में रखेंगे। यदि समेकित रुप से किसी मद में बचत रहती है, तो बचत राशि आपके कार्यालय की **office ID** में उपलब्ध होना आवश्यक है। अतः **IFMS** की **Hard Copy** साथ में लाया जाना सुनिश्चित करावें।
2. संशोधित अनुमान वर्ष 2018–19 एवं आय व्ययक अनुमान वर्ष 2019–20 के प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय निदेशालय द्वारा जिन पदों को प्रमाणित किया गया है संवेतन मद में उन्हीं पदों के लिये वास्तविक मांग का आंकलन किया जाकर तालिकायें प्रस्तुत की जावें।
3. अन्तिम आधिक्य व्यय एवं बचत तालिकाओं के साथ माह जनवरी, 2019 का IFMS के अन्तर्गत कोषालय से मिलानशुदा मासिक व्यय मानचित्र भी साथ में लाया जाना सुनिश्चित करावें तथा यदि माह जनवरी, 2019 का मासिक व्यय मानचित्र पूर्व में प्रेषित कर दिया गया हो तो उसकी छाया प्रति साथ में लाया जाना सुनिश्चित किया जावें।
4. अन्तिम आधिक्य एवं बचत की तालिकाऐं अलग–अलग बजट मदवार भिजवाई जावे तथा विस्तृत मद शीर्ष संलग्न प्रपत्र–अ के क्रमानुसार ही भिजवाई जावे। जो विस्तृत मद लागू नही हो उसे छोडा जा सकता है।
5. जिन लेखा मदों मे बचत संभावित है उन मदों मे उतनी राशि IFMS के अन्तर्गत आपकी UID मे उपलब्ध होना सुनिश्चित कर लिया जावे तथा **आपकी Office ID में बचत राशि उपलब्ध है, इसकी Hard copy साथ में लावें।**
6. वर्दियों हेतु राशि का व्यय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर किया जावे।
7. अंतिम आधिक्य व्यय एंव बचत की तालिकाओं में मूल आवंटन के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2017–18 में आदिनांक तक किये अतिरिक्त आवंटन एवं बजट निर्णायक समिति की बैठक में स्वीकृत न्यू आईटम के लिये आवंटन राशि को अलग–अलग दर्शाते हुये आवंटित राशि का कुल योग दर्शावें। नवीन मदों में आवंटित राशि एंव अब तक हुये व्यय तथा शेष अवधि मे अनुमानित व्यय एवं अतिरिक्त मांग के लिये संक्षिप्त नोट मय औचित्य तैयार कर साथ लावें। किसी लेखामद में दायित्व बकाया हो तो बकाया दायित्वों की लेखामदवार सूची मय विस्तृत विवरण के साथ में लाया जाना सुनिश्चित करावें।

8. तालिकाओं में माह **जनवरी, 2019** तक वास्तविक व्यय को दर्शाते हुये दिनांक 01.02.2019 से 31.03.2019 तक होने वाले संभावित व्यय को पूर्ण औचित्य के साथ दर्शाते हुए व्यय का योग दर्शाया जावे तथा उसके अन्त में अधिक व्यय एवं बचत को दर्शावें।

9. तालिकाओं में बजट प्रावधान में केवल वही राशि अंकित की जावे जो आपको अधिकृत रूप से आंवटित की गई है। अतः IFMS के अन्तर्गत बजट स्थिति से सम्बन्धित हार्ड कॉपी अनिवार्य रूप से साथ लावें।

10. **प्रपत्र "अ" के कॉलम सं. 12 (अंतिम आवंटन) को खाली रखें। उक्त कॉलम की पूर्ति निदेशालय स्तर से की जावेगी।**

11. चालू वित्तीय वर्ष के लिये आयोजना व्यय/आ.भि.व्यय से संबंधित व्यय तालिकायें निर्धारित दिनांक तक भिजवायी जानी सुनिश्चित की जावे। माह जनवरी 2018 का मासिक व्यय विवरण प्राप्त नहीं होने पर अंतिम आधिक्य व्यय एंव बचत में की गई मांग पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

12. संवेतन मद में शुद्ध राशि के आधार पर आकंलन नहीं किया जाकर सकल राशि इस मद में प्रस्तावित की जावे।

13. उक्त तालिकाओं के साथ मे माह अप्रेल, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक लेखा शीर्षक **0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य में प्राप्त राजस्व** एवं दिनांक 01.01.2019 से 31.03.2019 तक संभावित आय का विवरण प्रपत्र–'ब' मे आवश्यक रूप से साथ लावें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा प्राप्त राजस्व की सूचना आय मदवार संकलित कर, समेकित रूप से आय की सूचना निर्धारित प्रपत्र 'ब' में लाया जाना सुनिश्चित करावे।

14. अंतिम आधिक्य व्यय एंव बचत तालिकाओं में ऐसे व्यय को सम्मिलित नहीं किया जावे जो दिनांक 31.03.2019 तक कोष कार्यालय से पारित होने की स्थिति में न हों।

15. वर्तमान में स्वीकृत पदो के विरुद्ध कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का लेखामदवार विवरण जिनका 7th पे–कमीशन के अन्तर्गत वेतन स्थिरीकरण कर दिया गया है, उनकी लेखामदवार सूची तथा शेष अधिकारी/कर्मचारियों की लेखामदवार सूची जिनका 7th पे–कमीशन के अन्तर्गत वेतन स्थिरीकरण नहीं किया गया है, उनकी लेखामदवार सूची आधिक्य/बचत की तालिकाओं के साथ लाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :– प्रपत्र– अ एवं ब

(जे.एल.जांगिड)
वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ए.4( ) लेखा/प्रतिबद्ध/2018–19/1305 दिनांक 15-01-2019

प्रतिलिपि :– 1. नोडल अधिकारी डोडा पोस्त नशा मुक्ति कार्यक्रम "नया सवेरा" मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कार्यक्रम से सम्बन्धित आवंटित राशि का अन्तिम आधिक्य/बचत का अपने स्तर पर सत्यापन कर प्रस्तुत करावें।

2. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

(जे.एल.जांगिड)
वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर